# उत्तराखण्ड स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी, देहरादून

## वित्तीय निविदा फार्म

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/प्रेस का नाम व डाक का पूरा पता.............................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. उल्लेखित एजेन्सी द्वारा समस्त निविदा की शर्तो का पालन करने के लिये मै/हम.................................... ..........................................................................................................................वास्ते संस्था फर्म...........................................................................सहमत है। शर्तो की प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

3. प्रस्तावित मिलमेड टैग मुद्रण के कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु दरें निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

| क्र0सं0 | मिलमेड टैग विवरण (संख्या में) | दर प्रति |
|---|---|---|
| 1 | प्रमाणित टैग – 90,00,000* | |
| 2 | आधारीय टैग – 10,00,000 * | |

** टैगों की मात्रा घट बढ़ सकती है।*

4. यदि मैं निविदा शर्तो के अनुरूप टैग मुद्रण का कार्य निदेशक, उत्तराखण्ड स्टेट सीड् सर्टीफिकेशन एजेन्सी, द्वारा दिए गये निर्धारित मापदण्ड अनुसार नही करूँगा, तो अनुबन्ध जमानत राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक, बीज प्रमाणीकरण अभिकरण को देता हूँ तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश नही करूँगा।

**हस्ताक्षर,**

**वास्ते (संस्था/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता)**

उत्तराखण्ड स्टेट सीडस् सर्टीफिकेशन एजेन्सी
निदेशक
देहरादून

## उत्तराखण्ड स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी, देहरादून
## <u>तकनीकी निविदा फार्म</u>

आवेदन पत्र का मूल्य रू0 500/ड्राफ्ट/चैक

1. निविदादाता का नाम पूर्ण पता व दूरभाष/फैक्स नम्बर........................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. निविदादाता द्वारा जमा कराये जाने वाली धरोहर धनराशि का विवरण :–

| कार्य का नाम | डी0डी0 नं0/एफ.डी.आर नं0 | दिनांक | राशि (रू0में) |
|---|---|---|---|
| मिलमेड टैग मुद्रण | | | 1,00,000/–(रू0 एक लाख) |

3. मिलमेड टैग का मुद्रण करने वाली प्रेस की पात्रता (निम्नवत दस्तावेज की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :–

*3.1 प्रेस में मुद्रण से सम्बन्धित उपकरणों का विवरण। जिसका निरीक्षण एजेन्सी द्वारा किया जा सकता है।*

*3.2 विगत् तीन वर्षो की चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा संप्रेक्षित बैलेन्स सीट की छायाप्रति।*

*3.3 GST (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीकरण की छायाप्रति।*

*3.4 आयकर पंजीकरण की छायाप्रति।*

*3.5 शासकीय/अर्द्धशासकीय व अन्य फर्मो के गोपनीय दस्तावेजों/टैग के मुद्रण सम्बन्धित 2वर्ष का सम्पादन प्रमाण पत्र।*

*3.6 टैग मुद्रण गुणवत्ता मानकों के अनुसार कार्ड शीट/पेपर एवं BOPP फिलम फार्म अलग–अलग न्यूनतम ए4साइज का नमूना।*

*3.7 जिला अधिकारी द्वारा मुद्रण अनुमति/ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा उद्योग विभाग से अनुमति पत्र।*

3.8 निविदा फार्म शुल्क की रकम **रू0 500.00 (रू0 पाँच सौ मात्र) ड्राफ्ट/चैक** संख्या.................. दिनांक....................से जमा करा दी गई है।

4. मै0.................................................................................................................. एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित टैग मुद्रण से सम्बन्धित पूर्ण अनुभव रखता हूँ। मेरे पास कार्य के प्रर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।

उत्तराखण्ड स्टेट सीडस् सर्टीफिकेशन एजेन्सी निदेशक देहरादून

**हस्ताक्षर,**

वास्ते (*संस्था/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता*)

# उत्तराखण्ड स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी, देहरादून

## निविदा की शर्ते

1. निविदा सूचना में दिए गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहर बन्द लिफाफे में एजेन्सी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में ही निविदायें स्वीकार की जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय, निविदायें अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें एवं लिफाफों में वित्तीय तकनीकी निविदा अकंन करना आवश्यक है।
2. उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जायेगा, जो तकनीकी निविदा में अर्हता पूर्ण करते हो। तकनीकी निविदा की अर्हता पूर्ण न करने वाली फर्म की वित्तीय निविदा मूलरूप में उसकी धरोहर धनराशि के साथ वापस कर दी जायेगी।
3. आधारीय एव प्रमाणित टैग्स् की दरें प्रति टैग के हिसाब से स्पष्ट दर्शायी जायें। सशर्त दरें स्वीकार नही की जायेगी।
4. दरें नीले बाल प्वाइंट/जैल पैन से अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी स्पष्ट अंकित की जायें। दरों के अंकों में काट–छांट/ओवरराइटिंग होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
5. निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 एक लाख निविदा में दिए गये सूचना के अनुसार होनी चाहिए। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। धरोहर धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर, जो कि निदेशक, उत्तराखण्ड स्टेट सीड एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी, देहरादून के पक्ष में होगा व धरोहर धनराशि को तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखा जाय।
6. असफल निविदादाताओं को धरोहर धनराशि निविदा की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् ही इस प्रतिबन्ध के साथ लौटाई जायेगी कि यदि (प्रथम) सफल निविदादाता किन्हीं कारणों से कार्य करने में अक्षम पाया जाता है तो दूसरे (पायदान) नम्बर के निविदादाता को शर्तानुसार धरोहर धनराशि पुनः जमा करने के पश्चात् कार्य दिया जा सकता है।
7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित फर्मों की वरीयता दी जायेगी।
8. निविदायें निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् स्वीकार नही की जायेगी।
9. सफल निविदादाओं को कार्यादेश से तीन दिन की अवधि में रू0 100.00 (सौ रूपये मात्र) के नॉन–ज्यूडिशिनल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उत्तराखण्ड स्टेट सीडस सर्टीफिकेशन एजेन्सी निदेशक देहरादून

10. **यदि** टैगिंग के समय अधोमानक टैग आपूर्त होते है तो उन टैगों को निरस्त कर दिया जायेगा और फर्म से उन टैग्स् के मूल्य भुगतान नही किया जायेगा, निरस्त टैगों का निस्तारण फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष किया जायेगा, जिसका समायोजन अन्तिम बीजक से अथवा उनके द्वारा जमा किया जायेगा, जमा न करने पर धरोहर धनराशि से काट दिया जायेगा।

11. सफल निविदादाताओं को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व टैगों का सैम्पल स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

12. सरकार द्वारा निर्धारित स्त्रोत पर की जानी वाली वैधानिक कटौतियॉ देयकों से की जायेगी एवं मॉंग करने पर कटौती का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

13. कार्य आदेश में निर्धारित तिथि को टैग आपूर्त करना अनिवार्य होगा।

14. निविदादाताओं द्वारा दी गयी दर में GST अलग से दर्शित की जायेगी एवं एफ0ओ0आर0 जनपद ऊधमसिंहनगर होगा।

15. केवल अधिकृत प्रेस स्वामी ही निविदा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है।

16. यह कार्य वर्ष 2017–18 के लिए है।

17. टैग आपूर्ति हेतु प्राप्त आदेश में इंगित अवधि में टैग्स् की आपूर्ति अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि के अन्दर टैग आपूर्त न होने पर सुस्पष्ट विलम्ब का कारण निदेशक को देना आवश्यक होगा।

18. टैगों की आपूर्ति में बार–बार विलम्ब, मुद्रण में बार–बार त्रुटि, गोपनीयता भंग होने पर टैग के मुद्रण से सम्बन्धित कार्य यदि किसी अन्य फर्म या प्रेस से कराया जायेगा या कराया गया है, का प्रमाण मिल जाने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा एवं जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमो के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

19. निविदा से सम्बन्धित सभी मामलों का न्यायिक क्षेत्र, देहरादून होगा।

20. टैग विलम्ब से छपने पर यदि आवश्यकतानुसार दूसरी फर्म से टैग मुद्रण का कार्य करवाया जायेगा तो अतिरिक्त व्यय भार स्वीकृत फर्म से उसके बिल एवं धरोहर धनराशि से काट लिया जायेगा।

21. भुगतान प्रक्रिया टैग आपूर्ति के पश्चात् 10 दिन के अन्दर टैग प्राप्ति सहित बीजक एजेन्सी में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान विभागीय औपचारिकताओं के पूर्ण करने पर दो सप्ताह के अन्दर कर दिया जायेगा।

22. **टैग स्वीकृत** सैम्पल मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में टैगों का कोई भुगतान नही किया जायेगा एवं फर्म के प्रतिनिधि के सम्मुख इन्हे विनिष्ट किया जायेगा और इस आधार पर टैगों की आपूर्ति का यह आदेशक स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनावश्यक व्यय भार की क्षतिपूर्ति आपकी धरोहर धनरशि से कर दी जायेगी।

उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स सर्टिफिकेशन एजेन्सी
निदेशक
* देहरादून *

22. **टैग मुद्रण निर्धारित गुणवत्ता मानक :–**

(1) टैग मुद्रण हेतु कार्ड शीट न्यूनतम 140 जी0एस0एम0 प्रमाणित वर्ग के टैग व आधारीय वर्ग के टैगों का रंग क्रमशः नीले व सफेद पल्प की होगी।

(2) प्रमाणित टैग अजरब्लू आई0एस0आई0104 (AZURE BLUE ISI NO.104)/ आधारीय टैग सफेद रंग (नमूनानुसार)।

(3) दोनो प्रकार के टैगों की लम्बाई व चौड़ाई 15 X 7.5 से0मी0 होगी।

(4) दोनो प्रकार के टैग तीन रगों में मुद्रित होगें एवं एजेन्सी का लोगो **N.I.D.** द्वारा दिये गये डिजाईन व रगों के अनुरूप होगा।

(5) टैगों के मुद्रण के लिए प्रयोग किये जा रहे कागज की गुणवत्ता रबड़ स्टैम्प से अंकित की जाने वाली जानकारी एवं हस्ताक्षर स्पष्ट अंकित हो जायें एवं स्याही फैलनी नहीं चाहिए, बल्कि तुरन्त सुख जाए व रगड़ने पर मिटने न पायें।

(6) टैगों की नम्बरिंग कम्प्यूटराईज 11 डिजिट में अंकित होंगे।

(7) अल्ट्रावायलेट **UV**/इनफ्लोरोसैन्ट इंक से अभिकरण का लोगो प्रत्येक टैग में मुद्रित होना आवश्वयक है।

(8) टैग 18 माइक्रोन **BOPP** फिल्म, जिस पर एजेन्सी का लोगो प्रिन्ट हो, व पीछे की तरफ इस प्रकार लेमिनेट किया जाय की फिल्म उखडे नही एवं फिल्म पर मुद्रित अभिकरण का लोगो फिल्म के अन्दर ही प्रिन्ट हो।

(9) टैगों का मुद्रण, आपूर्ति एवं भण्डारण पूर्णतः गोपनीय, सर्तकता एवं सूरक्षा की वचनबध्यता स्थिति में करेंगें।

23. टेण्डर दिनांक **28.08.2017** को **2.00 बजे** तक ***कृषक भवन, तृतीय तल, मसूरी बाईपास रिंग रोड़, नेहरू ग्राम, देहरादून*** में किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किये जा सकते है, एवं उसी दिन **3:00 बजे तक** कार्यालय में रक्षित टेण्डर बॉक्स में डाले जायेंगें। निविदा उसी दिन **3:30 बजे** उपस्थित सदस्यों के सम्मुख खोली जायेगी।

24. किसी भी निविदा को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार एजेन्सी के निदेशक को होगा।

उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स सर्टीफिकेशन एजेन्सी * देहरादून * निदेशक

**निदेशक**